सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं0: 4490/1014/2015 दिनांक: 15.06.2017

श्री कैलाश चंद्र मीना वादी
बी–143, आनन्द विहार
रेलवे कॉलोनी, जगतपुरा R1690
जयपुर – 302017 (राजस्थान)

बनाम

पश्चिम रेलवे R1691
(द्वारा) मण्डल रेल प्रबंधक (स्थापना) प्रतिवादी
मुम्बई सैन्ट्रल मण्डल, मुम्बई – 400008

सुनवाई की तिथि : 06.06.2017 दोपहर 1600 बजे।

उपस्थित :

- श्री कैलाश चन्द्र मीना, शिकायतकर्ता।
- श्री राजीव रंजन प्रसाद, अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता श्री कैलाश चन्द्र मीना ने पश्चिम रेलवे द्वारा सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर नियुक्ति न देने से संबंधित शिकायत – पत्र दिनांक 10.06.2015 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

2. मामला अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत प्रतिवादी से दिनांक 26.06.2015 को उठाया गया। प्रतिवादी के पत्र दिनांक 28.08.2015 के मद्देनज़र दिनांक 01.05.2017 को सुनवाई रखी गई परन्तु प्रशासनिक कारणों से दिनांक 06.06.2017 को सुनवाई रखी गई।

3. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा उक्त मामला माननीय केंद्रीय न्यायाधिकरण अदालत, राजस्थान भी दायर है जिसकी पुष्टि शिकायतकर्ता ने भी की।

4. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् यह पाया गया कि उक्त मुद्दा माननीय केन्द्रीय न्यायाधिकरण अदालत, राजस्थान के समक्ष विचाराधीन है इसलिए केस को बन्द किया जाता है।

(डॉ कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त